



UPLK010122882022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ।

एफ0आर0 सं0-295/2022

रमेश राम बनाम राजेश नेगी आदि

मु0अ0सं0-189/2021

धारा-323,504,506,427 भा0दं0सं0 एवं

धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट

थाना-आशियाना, जिला लखनऊ।

20.01.2025

पत्रावली पेश हुई।

पुकार करायी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को सम्मन तामील के पश्चात भी वादी की ओर से न तो कोई उपस्थित हो रहा है और न ही प्रस्तुत एफ0आर0 पर कोई आपत्ति ही दाखिल की गयी है।

विवेचक द्वारा संग्रहित साक्ष्य से भी स्पष्ट है कि घटना का स्वतंत्र एवं चश्मदीद साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है।

वर्णित परिस्थितियों में अ0सं0 189/2021 धारा- 323, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना-आशियाना, जिला लखनऊ में प्रस्तुत अंतिम आख्या दिनांकित 21.08.2021 स्वीकार किये जाने योग्य है और उस पर आधारित एफ0आर0 वाद 295/2022 निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम आख्या दिनांकित 21.08.2021 स्वीकार की जाती है एवं उस पर आधारित एफ0आर0 वाद संख्या 295/2022 मु0अ0सं0 189/2021 धारा- 323, 504, 506, 427 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(1)द, ध एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट थाना-आशियाना, जिला लखनऊ तदनुसार निस्तारित की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश कुमार मिश्र)

दिनांक: 20-01-2025

विशेष न्यायाधीश एस0सी0-एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।

जेओ कोड-यूपी06085